

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
Central Sericultural Research & Training Institute

केंद्रीय रेशम बोर्ड,
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
मानंदवाडी रोड, श्रीरामपुरा,
मैसूर - 570008



Central Silk Board
Ministry of Textiles, Govt. of India
Manandavadi Road, Srirampura,
Mysore - 570008
http: www.csrtimys.res.in

दि: 30.05.2019

सं.कैरेबो/अप्रसं/7.2/हिंदी/2019


परिपत्र

विषय: राजभाषा के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में ।

कैरेअप्रसं मैसूर के सभी केंद्र अध्यक्षों प्रभारियों/प्रभागीय/अनुभागाध्यक्षों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान अनिवार्य है। इन प्रावधानों का पालन अति आवश्यक है। विवरण निम्नवत हैं।

1. धारा 3(3) का अनुपालन
सभी परिपत्र/कार्यालय आदेश/ज्ञापन/सूचना/निविदा/विज्ञापन/रिपोर्ट आदि द्विभाषी में (अंग्रेजी एवं हिंदी) में जारी करना है।
2. राजभाषा नियमावली 1976 का नियम-5
राजभाषा नियम 1976 नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना अनिवार्य है।
3. नियम 11 का अनुपालन
कार्यालयीन उपयोग में लाई जाने वाली निम्नलिखित सामग्री आवश्यक रूप से द्विभाषी (हिंदी - अंग्रेजी) में तैयार कर उपयोग में लाई जाए
अ) फॉर्म एवं प्रपत्र
आ) फाइल पर विषय आदि का नाम
इ) रजिस्टर (कॉलम एवं प्रविष्टियां द्विभाषी में)
ई) चार्ट एवं ग्राफ
उ) रबड़ की मोहर
ऊ) विजिटिंग कार्ड (परिचय कार्ड)
ऋ) नाम प्लेट (द्विभाषी में- हिंदी एवं अंग्रेजी में)
ए) साइन बोर्ड (त्रिभाषा अर्थात क्षेत्रीय भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी में)

यह देखा गया है कि संस्थान के कुछ केंद्रों/अनुभागों के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है। अतः सभी केंद्र प्रधानों / प्रभारियों, प्रभागीय / अनुभागीय प्रधानों से अनुरोध है कि वे इन प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा यदि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3),रा.भा.नियम-11 आदि के अनुपालन में यदि कोई सहायता अपेक्षित हो तो, हिंदी अनुभाग से तत्काल संपर्क करें।


निदेशक

सेवा में
वैज्ञानिक डी/सी व प्रभारी, क्षेत्रअसं, अतिकें, अतिकें उप एकक
सभी अनुभाग प्रभारी, कैरेअप्रसं, मैसूर

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
Central Sericultural Research & Training Institute

केंद्रीय रेशम बोर्ड,
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
मानंदवाडी रोड, श्रीरामपुरा,
मैसूर - 570008



Central Silk Board
Ministry of Textiles, Govt. of India
Manandavadi Road, Srirampura,
Mysore - 570008
http: www.csrtimys.res.in

No. CSB/RTI/7.2/Hindi/2019

Date: 30.05.2019

CIRCULAR

Sub: - Compliance of Mandatory Provisions of Official Language-Reg.

All the Centre In charges / Divisional / Sectional Heads of CSRTI, Mysore are hereby informed that the following provisions in respect of Official Language are mandatory and compliance of the said provisions is compulsory. The detail is as given below :

1. **Compliance of Section- 3(3)**

All Circulars / Office Orders / Memorandum / Notices / Tenders / Advertisement and reports must be issued in bilingual (i.e. in Hindi and English)

2. **Rule- 5 of Official Language Rules 1976**

As per rule 5 of OL rules 1976 all letters received in Hindi should invariably be replied to in Hindi.

3. **Compliance of Rule- 11**

The following materials meant for Official purposes must be prepared and used in bilingual (i.e. Hindi and English)

- Forms and Proformas
- Subject matter on Files
- Registers (Columns and entries in Bilingual)
- Charts and Graphs
- All Rubber Seals
- Visiting Cards
- Name plates(Bilingual)/Sign Board in Trilingual (i.e. Regional Language, Hindi and English)

It is observed that some centres/sections are not properly complying with the above provision. Therefore, all Centre In-charges /Divisional/Sectional Heads of CSR&TI, Mysore are therefore once again advised to ensure strict compliance of the above provisions. Further regarding bilingualisation of the documents specified under section 3(3) of Official Language Act & OL Rule - 11, assistance, if any, required may please be taken from Hindi section of the Institute.


DIRECTOR

To
Scientist D/C & Incharge. RSRS, REC, REC Sub unit
All Section Incharge, CSRTI, Mysore